संख्या-61/2026//001-690-23-12-2026-1973516

प्रेषक

शेषनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 **लखनऊ दिनांक 02 जून, 2026**

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में रोड सेफ्टी योजनान्तार्गत सड़क सुरक्षा/ब्लैक स्पॉट, सौन्दर्यीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा इत्यादि हेतु विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत कुल 18 चालू कार्यों पर धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्र संख्या-22049/CE-HQ1/RS/BAN/2026-27 दिनांक 25-05-2026, पत्र संख्या-22082/CE-HQ1/RS/GKP/2026-27 दिनांक 25-05-2026, पत्र संख्या-22085/CE-HQ1/RS/PRJ/2026-27 दिनांक 25-05-2026, पत्र संख्या-22091/CE-HQ1/RS/LKO/2026-27 दिनांक 25-05-2026, पत्र संख्या-22092/CE-HQ1/RS/MRT/2026-27 दिनांक 25-05-2026 तथा पत्र संख्या-22099/CE-HQ1/RS/KNP/2026-27 दिनांक 26-05-2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रोड सेफ्टी योजनान्तार्गत सड़क सुरक्षा/ब्लैक स्पॉट, सौन्दर्यीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा इत्यादि हेतु विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत अधोलिखित तालिका में अंकित 18 चालू कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रू0 350.85 लाख (रूपये तीन करोड़ पचास लाख पच्चासी हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण व शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	**खण्ड/ जनपद का नाम**	**कार्य का नाम /मार्ग का कोड**	**मूल स्वीकृति का शासनादेश व दिनांक**	**स्वीकृत मूल लागत/ प्रावैधिक स्वीकृत लागत**	**अब तक आवंटन**	**प्रस्तावित आवंटन**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	नि.ख.-1 बांदा	बांदा बिसण्डा ओरन नादी भौरी राज्य मार्ग संख्या-133 से निकले समस्त ग्रामीण मार्गों के जंक्षन सुधार का कार्य। 242339	147/2025/001-1327-23-12-2025-1985416-दिनांक-24-11-2025	102.17	51.08	**45.94**
2	नि.ख.-1 बांदा	बांदा नैरेनी कालिंजर मार्ग राज्य मार्ग संख्या-113 से निकले समस्त ग्रामीण मार्गों के जंक्षन सुधार का कार्य। 242341		151.46	75.73	**67.87**
3	नि.ख.-1 बांदा	बांदा नगर क्षेत्र में स्थित राजमार्ग संख्या-133 एवं बांदा बाइपास अन्य जिला मार्ग के चैराहे के सुधारीकरण का कार्य। 242343		179.51	89.75	**80.26**
4	प्रा.ख. बांदा	बांदा बबेरू कमासिन राजापुर (राज्य मार्ग संख्या-92) के किमी0 40 से 67 में टी		24.75	23.40	**1.23**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		जंक्शन/चौराहो पर रोड सेफ्टी का कार्य। 242359				
5	नि.ख. महराजगंज	जनपद महाराजगंजके विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा के अन्तर्गत महदेवासमरधीरा से भगवानपुर (पड़रहवा)अ0जि0मा0 के चैनेज4.600से 4.710 तकअन्धामोड़केसुधारहेतु110मी0 लम्बाईमें मार्ग का निर्माण कार्य। 209833	46/2025/001-191-23-12-2025-23-12099-099-18-2025-दिनांक-05-03-2025	37.31	10.65	**10.00**
6	नि.ख.-2 फतेहपुर	शिवराजपुरबिन्दकी ललौली मार्ग 234067	133/2025/001-1133-23-12-2025-1973908, दि0-28.10.2025-दिनांक-28-10-2025	14.67	3.33	**7.15**
7	नि.ख.-2 फतेहपुर	पुखरायांघाटमपुर बिन्दकी मार्ग का निष्काशित भाग (बकेवर बिन्दकी मार्ग) (एस0एच0-46ए) 234068		11.37	2.68	**5.68**
8	नि.ख.-2 हरदोई	बिलग्राम-उन्नाव-इलाहाबाद मार्ग (राज्य मार्ग-38) पर शेखनपुर ब्लैक स्पॉट का सुधार कार्य 234029	134/2025/001-1132-23-12-2025-1974129, दि0-28.10.2025-दिनांक-28-10-2025	29.67	14.83	**13.25**
9	नि.ख.-2 हरदोई	सण्डीला मेंहदीघाट भटपुर मार्ग (राज्य मार्ग-137) के गौसगंज ब्लैक स्पॉट सुधार का कार्य 234030		4.44	2.22	**1.96**
10	नि.ख.-2 हरदोई	बिलग्राम-उन्नाव-इलाहाबाद मार्ग (राज्य मार्ग-38) पर खुर्दा मोड़ ब्लैक स्पॉट का सुधार कार्य 234031		4.29	2.14	**1.87**
11	नि.ख.-2 हरदोई	बिलग्राम-उन्नाव-इलाहाबाद मार्ग (राज्य मार्ग-38) पर हरदोई उन्नाव मार्ग ब्लैक स्पॉट का सुधार कार्य 234032		3.75	1.87	**1.65**
12	नि.ख.-2 हरदोई	बिलग्राम-उन्नाव-इलाहाबाद मार्ग (राज्य मार्ग-38) पर सुल्तानपुर पुलिया ब्लैक स्पॉट का सुधार कार्य 234033		3.39	1.69	**1.47**
13	नि.ख.-2 हरदोई	बिलग्राम-उन्नाव-इलाहाबाद मार्ग (राज्य मार्ग-38) पर चुंगी नं0-2 ब्लैक स्पॉट का सुधार कार्य 234034		6.69	3.34	**2.98**
14	नि.ख.-2 हरदोई	बिलग्राम-उन्नाव-इलाहाबाद मार्ग (राज्य मार्ग-38) पर बक्शीपुरवा ब्लैक स्पॉट का सुधार कार्य 234036		3.69	1.84	**1.64**
15	नि.ख.-2 हरदोई	बिलग्राम-उन्नाव-इलाहाबाद मार्ग (राज्य मार्ग-38) पर छोटाचौराहा ब्लैक स्पॉट का सुधार कार्य 234037		6.62	3.31	**2.96**
16	नि.ख.-2	बिलग्राम-साण्डी-अल्लागंज मार्ग (राज्य		5.17	2.58	**2.30**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	हरदोई	मार्ग-138) पर सखेड़ा तिराहा ब्लैक स्पॉट का सुधार कार्य 234038				
17	प्रा.ख. हापुड़	मवाना हापुड किठौर मार्ग (राज्य मार्ग-118) के कि0मी0-54 में टियाला के वाई जंक्षन पर सुधार एवं संडक सुरक्षात्मक कार्य। 234133	130/2025/001-1130-23-12-2025-1973739, दि0-16.10.2025-दिनांक-16-10-2025	18.88	9.44	**8.21**
18	नि.ख. कन्नौज	सौरिख इंदरगढ मकनपुर आरौल मार्ग 234131		231.45	115.72	**94.43**
					योग	**350.85**

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

1- विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

2- प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

3- प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्यों के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की समस्त शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त कर दिये जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के आनलाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/ 2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के संबंध में वित्त (लेखा) अनु0-2 के कार्यालय ज्ञाप स0-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

7- विभागीय प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

8- प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

9- परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्तां (मु०-1), लोक निर्माण विभाग तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढ़ोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली क्षेत्रीय अभियन्ताओं आदि के वेतन से की जायेगी।

10- उपरिलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

11- उपरोक्त उल्लिखित कार्य के मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12- प्रश्नगत आवंटन में अनुरक्षण की धनराशि को व्यय न करके समर्पित किया जाय, इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 3,50,85,000 (रूपये तीन करोड़ पचास लाख पच्चासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054043371400 दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पाट का सुधार, सौन्दर्यीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
शेषनाथ
विशेष सचिव

पृ0संख्या-61/2026//001-690(1)-23-12-2026-1973516 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
4. प्रमुख अभियन्ता(ग्रामीण सडक), लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. सम्बन्धित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग।
8. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
9. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग।
10. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11. अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12. नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शेषनाथ)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in